

कार्यालय आदेश

पिछडा वर्ग कल्याण विभाग में सीधी भर्ती से 2005 में मौलिक रूप से तैनात चपरासी/अर्दली को चपरासी/अर्दली के पद हेतु निर्धारित परीवीक्षा अवधि दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त स्तम्भ -2 में अंकित कार्मिक को उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर स्तम्भ 06 में उल्लिखित तिथियों से चपरासी/अर्दली के पद पर स्थायी किया जाता है—

क्रम सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में पदनाम	तैनाती जनपद/स्थान	विभाग में चपरासी/अर्दली के पद पर योगदान की तिथि	परीवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव	चपरासी/अर्दली	देवरिया	05.05.2005	04.05.2007

उपर्युक्त कार्मिक का चपरासी/अर्दली की पारस्परिक ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(डॉ० संजय कुमार मालवीय)
उप निदेशक,
पिछडा वर्ग कल्याण
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

कार्यालय : उप निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक २० /उ०नि०/पि०व०क०/2017-18 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, देवरिया।
3. सम्बन्धित कार्मिक।
4. व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय प्रति।

(डॉ० संजय कुमार मालवीय)
उप निदेशक
पिछडा वर्ग कल्याण
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।